भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4309

13.12.2019 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

4309. कुंवर दानिश अली :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बदलती मानसून पद्धति और कृषि क्षेत्र पर इसके प्रभावों सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बाढ़ और सूखे से प्रभावित हुई भूमि और फसलों का हेक्टेयर में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यढांचा कन्वेंशन को प्रस्तुत की गई प्रथम और द्वितीय राष्ट्रीय संसूचनाओं के भाग के रूप में, मंत्रालय ने भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में अध्ययन किए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय क्षेत्र में मौसम की घटनाओं में होने वाले उतार-चढ़ाव का अध्ययन किया है। फसलों पर वर्षा में होने वाले उतार-चढ़ाव और इनके परिणामों के संबंध में अध्ययन केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआइडीए), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर), हैदराबाद द्वारा किए जाते हैं जिसने किसानों द्वारा अपनाए जाने के लिए वृष्टिपात में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर जिला स्तरीय आकस्मिक योजनाएं बनाई हैं। इसके अतिरिक्त, सीआरआइडीए द्वारा किसानों को परामर्शिकाओं के माध्यम से उपशमन उपायों के साथ ऐसे मुद्दों का निराकरण करने के लिए 'राष्ट्रीय जलवायु प्रतिस्कंधी कृषि पहल (एनआइसीआरए) का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

(ग) केंद्रीय जल आयोग की जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017 में बाढ़/भारी वर्षा की घटनाओं के कारण 6.076 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र (एमएचए) प्रभावित हुआ था और 4.972 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुँचा था।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सूचना के अनुसार वर्ष 2016-17 और 2017-18 में पांच राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए थे जबकि वर्ष 2018-19 में छः राज्य सूखे से प्रभावित हुए थे। राज्य-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	**सूखे से प्रभावित राज्य का नाम**	**प्रभावित क्षेत्र (हेक्टे. में) 2016-17**	**प्रभावित क्षेत्र (हेक्टे. में) 2017-18**	**प्रभावित क्षेत्र (हेक्टे. में) 2018-19**
1.	कर्नाटक (खरीफ)	3635721.74	---	2022418
	(रबी)	1371769.29		1938715.43
2.	छत्तीसगढ़	---	605803	---
3.	मध्य प्रदेश	---	1864339.97	---
4.	आंध्र प्रदेश	1273732.24	131531	1361531.54
5.	राजस्थान	2002727	1706791	2965295.99
6.	तमिलनाडु	2037032.29	---	---
7.	केरल	51894.09	---	---
8.	झारखंड	---	---	530386.80
9.	गुजरात	---	---	110514
10.	उत्तर प्रदेश	---	109835	---
11.	महाराष्ट्र	---	---	7264063

(घ) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) द्वारा सीआरआइडीए के सहयोग से किसानों और अन्य प्रयोक्ताओं के लिए समूचे मौसम, विशेषकर लंबे शुष्क मौसम/कम वर्षा की स्थिति के दौरान विस्तारित रेंज पूर्वानुमान (ईआरएफएस) का प्रयोग करके निरंतर एग्रोमेट परामर्शकाएं जारी की जा रही हैं। इस परियोजना के माध्यम से आइएमडी और राज्य कृषि विभागों द्वारा जिला स्तरों पर वृष्टिपात की संयुक्त रूप से निगरानी की जाती है और यदि वृष्टिपात में उतार-चढ़ाव होता है, तो स्थिति के आधार पर आकस्मिक फसल योजना की सलाह दी जाती है। मौसम की शुरुआत में कम वृष्टिपात और इसके बाद पर्याप्त वृष्टिपात के दौरान किसानों को कम अवधि वाली तथा गहरी जड़ों वाली फसलों को लगाने की सलाह दी जाती है। बीच मौसम में कम वृष्टिपात के दौरान नमी संरक्षण उपाय, रोपण घनत्व की कटौती, उपलब्ध जल स्रोत के आधार पर अनुपूरक सिंचाई जैसे उपायों की सलाह दी जाती है।

भारत सरकार ने XIवीं योजना के दौरान 8,000 करोड़ रु. के परिव्यय से नदी प्रबंधन, बाढ नियंत्रण, अपरदन-रोधन, ड्रेनेज विकास, बाढ़ रोधी कार्यों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की क्षति का प्रबंधन करने संबंधी कार्यों, तटीय अपरदन रोधन और आवाह क्षेत्र शोधन से संबंधित कार्यों को करने के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) की शुरुआत की है। यह स्कीम XIIवीं योजना के दौरान भी 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जारी रही।

विद्यमान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) और नदी प्रबंधन कार्यकलाप एवं XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्यों की स्कीमों के सम्मिलित घटकों के साथ 2017-2020 की अवधि के लिए 3342.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से ''बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)'' नामक एक व्यापक स्कीम दिनांक 07 मार्च 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई है और इसका उद्देश्य एफएमपी के अंतर्गत पहले से अनुमोदित होकर चल रही परियोजनाओं को पूर्ण करना है।

कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा पीएमकेएसवाइ के प्रति बूँद अधिक फसल घटक का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो 2015-2016 से चल रहा है। पीएमकेएसवाइ - प्रति बूँद अधिक फसल घटक का मुख्य बल सटीक/सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई) के माध्यम से खेत स्तर पर जल के उपयोग की दक्षता को बढ़ाने पर है। उपलब्ध जल संसाधनों का ईष्टतम प्रयोग करने के लिए सटीक सिंचाई के संवर्धन और खेत में जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के अलावा, यह घटक सूक्ष्म स्तरीय जल भंडारण अथवा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु जल संरक्षण/प्रबंधन कार्यकलापों का समर्थन भी करता है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय वहनीय कृषि मिशन (एनएमएसए) का संचालन किया जा रहा है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) का कार्यान्वयन 2014-15 से एनएमएसए के तहत एक घटक के रूप में किया जा रहा है। आरएडी में उत्पादकता को बढ़ाने तथा जलवायु संबंधी परिवर्तनों से संबंधित जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आइएफएस) पर बल दिया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत, फसलों/फसल प्रणाली को बागबानी, पशुधन, मछलीपालन, कृषि-वानिकी, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे कार्यकलापों के साथ एकीकृत किया जाता है ताकि किसान न केवल जीविका के संपोषण हेतु कृषि लाभ को अधिकतम करें, बल्कि सूखे, बाढ़ अथवा अन्य आत्यंतिक मौसमी घटनाओं के कारण फसल को हुई क्षति से संबद्ध आजीविका कार्यकलापों द्वारा आय के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों का कम किया जा सके।

******